In the High Court of Judicature of Chattisgarh at Bilaspur.

W.P. 881/05

Petition dispatched by Courier.
On the Human Rights day. dated 10.12.04

Petitioner : *Dr.Pratap Agrawal s/o LateBN Agrawal, aged 60 , Advocate, Jagdalpur 494001.*

Versus.

Respondents : *1, Government of Chattisgarh, Chief Secretry, Mantralaya, Raipur.*

2 .Inspector General Prison, Prison HQrs, Raipur..

Public Interest Petition under Art 226/227 Indian Constitution under Article 21 for protection of life and liberty and to upkeep Human Rights...

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(14)

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक WP 881/05 **सन्** **200**

.....विरुद्ध.....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

Division Bench:
Hon'ble Shri Fakhruddin, Ag.C.J &
Hon'ble Shri Sunil Kumar Sinha, J
11-03-2005

This is an office reference.

Shri Prashant Mishra, Addl. A.G., for the State.

The petitioner, who is an advocate, has submitted this petition by post, which has been received by the office on 17/12/2004. The petition is not supported by an affidavit, however, the application is verified.

The petition is based on the news clipping regarding Jail and the petitioner has no any personal knowledge. We have gone through the newspaper clipping annexed with the petition which is quoted below:-

आए दिन महारानी अस्पतला में कैदियों को उपचार के लिए लाया जाता है जो अधिकांश एनीमिया से गस्त पाए जाते है। जिसका जीता जागता उदाहरण है, दंतेवाडा के उपजेल से चार माह में कैदियों को जगदलपुर जेल लाया 1गया, जो अधिकांशत: एनीमिया की बीमारी से ग्रस्त है। जहां 50 कैदियों की क्षमता है वहां 300 कैदियों को रखा जाता है। जिसका मुख्य कारण अव्यवस्था होना बताया गया जिसके कारण कैदी रोग ग्रस्त पाये जा रहे है।

महारानी अस्पताल में आये जगदलपुर जेल के कैदी षुका पिता देवा 40 वर्ष जो दंतेवाडा जिले के मूल निवासी है। उक्त कैदी ने दो वर्ष पूर्व अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। जिसकी सजा काट रहा हे दसे दंतेवाडा उपजेल में रखा गया था

(पीछे देखिये)

(15)

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक ..... सन् 200

..... विरुद्ध .....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित -2-	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

परन्तु इसका स्वास्थ्य बिगडने के कारण जगदलपुर जेल में रखा गया है। जिसका इन दिनों से महारानी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। सुकमा निवासी बुदरा एवं आलकू दंतेवाडा जेल से लाये गये हैं इन लोगों ने बताया कि दंतेवाडा जेल में खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता है। हमेशा आधे पेट भोजन दिया जाता है। बीमार कैदियों के संबंध में डॉ. बी. के. ठाकुर ने चर्चा के दौरान बताया कि ये कैदी ऐनीमिया से ग्रस्त हे। इन्हें खाने में विटामिन प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिलने से अधिकांशतः मरीज खून की कमी से खुजली एवं एनीमिया से ग्रस्त पाये गये है। विडम्बना यह हे कि जेल में उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आये दिन कैदियों की मौत हो रही है। जिसके लिए जेलर को दोषी ठहराया जाता है परंतु वास्तविक रुप में जेलन दोषी नहीं बल्कि प्रशासन है क्योंकि दंतेवाडा जेल में 50 कैदियों की क्षमता थी जिसे अब बढाकर 70 कैदियों की क्षमता किया जा चुका है परंतु आज गरीबी बेरोजगारी के चलते अपराध इतने ज्यादा बढ गए है और अपराधियों की भी वृद्धि हो रही है। अपराधियों की वृद्धि होने से क्षमता से अधिक कैदियों को रखना पड रहा है जबकि दंतेवाडा जिले में 70 कैदियों की क्षमता है जो आज चार गुणा अर्थात लगभग 300 कैदियों को रखा जा रहा है तो यह स्वाभाविक है कि खाने रहने की उचित व्यवस्था का अभाव हो सकता है जिसके कारण कैदी एनीमिया जैसे बीमारी के शिकार बनते जा रहे है। जगदलपूर जेल के अधीक्षक ने बताया कि दंतेवाडा जेल में व्यवस्था नहीं होने के कारण दंतेवाडा से 4 माह में 40 कैदियों को जगदलपुर भेजा जा चुका है। प्रशासन को कैदियों से लाखों रुप्यों का आय प्राप्त हो रहा है परन्तु छत्तीसगढ के कुछ जेलों में कैदियों की उचित व्यवस्था तक नहीं हो पाई जिसका जीता जागता उदाहरण दंतेवाडा जेल है। यहां के कैदियों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन युक्त भोजन नहीं मिलने पर एनीमिया से ग्रसित हो चुके है। कोन्टा के सचिव ने जब इस बात का विरोध किया था तब उसकी जेल में बुरी तरह पिटाई की गई थी जिसका जख्म अभी तक भरा भी नहीं है।

(पीछे देखिये)

(16)

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक ..... सन् 200

..... विरुद्ध .....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित -3-	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

The newspaper clipping shows that the inmates from Dantewara Jail are being taken to Jagdalpur Jail for treatment of Anemia. Newspaper clipping further shows that one prisoner namely Shuka son of Deva, aged 40 years, who is a resident of Dantewara had killed his wife, was kept in Dantewara jail and was taken to Jagdalpur Jail and his treatment is going on in Maharani Hospital. Sukma and Alku have also been taken from Dentewara Jail. They told to correspondent that they are not given sufficient food and Dr. B.K. Thakur told that they are suffering from Anemia. It is also mentioned that 40 persons have been sent to Jagdalpur since last 4 months.

The petition is not happily worded. The petitioner who is an Advocate should have gone through the law on the subject laid down by the Hon. Supreme Court and the Rules and Orders and guide-lines prescribed in the case of ***S.P. Anand vs. H.D. Deve Gowda*** reported in ***AIR 1997 SC 272***.

Pleadings in the petition especially in the public interest litigation should not be scandalous and fictitious. There should be no personal interest, no publicity and no political interest.

(पीछे देखिये)

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(17)

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक ..... सन् 200

..... विरुद्ध .....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित —4—	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

This court has confined its consideration only about the health condition of the jail inmates and other aspects of the petition are not being considered, as in our opinion the High Court is not to be used for personal whims and/or political consideration.

Earlier Dantewada was not a judicial district and it has now been declared as judicial district. There is a committee of Jail consisting of District Judge and the Collector concerned.

We direct that the matter be examined by the District Judge and the Collector concerned and required steps be taken.

With the aforesaid observations, this petition stands disposed

P/H

Sd/-
Acting Chief Justice

Sd/-
Sunil Kumar Sinha
Judge

(पीछे देखिये)